न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 177 / 2022

1 श्योराम पुत्र गुगनराम उम्र 71 साल जाति मेघवाल निवासी गुगन की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रघुवीर पुत्र हनुमान उम्र 71 साल
2 छोटेलाल पुत्र स्व. हनुमान उम्र 67 साल
3 हरिसिंह पुत्र श्री हनुमान उम्र 61 साल
4 धापा पुत्री लालाराम उम्र 29 साल
5 मीर सिंह पुत्र श्री सहीराम उम्र 52 साल
6 संजय पुत्र ओमप्रकाश उम्र 25 साल समस्त जाति अहीर निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
7 करण सिंह पुत्र प्रसादा
8 कैलाश पुत्री अमीलाल पत्नी प्यारेलाल
9 गोपीचन्द पुत्र मिश्रीलाल
10 नाहर सिंह पुत्र श्री प्रसादा
11 पूर्णमल पुत्र मिश्री
12 बद्री प्रसाद पुत्र प्रसादा
समस्त जाति जोगी निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
13 भतेरी पुत्री प्रसादा जाति जोगी निवासीगण कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. हाल निवासी पिचानवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 मुन्नी पुत्री प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
15 रामनिवास पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 लीलाधर पुत्र मिश्रीलाल जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
17 सुभाष पुत्र प्रसादा जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
18 सावित्री पुत्री प्रसादा पत्नी भालाराम जोगी जाति जोगी निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. हाल निवासी बिस्सा नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
19 महेन्द्र पुत्र बनवारी जाति मेघवाल निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
20 प्रदीप पुत्र मदनलाल नवीरा बनवारी उम्र 23 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
21 ज्योति पुत्री मदनलाल नवीरा बनवारी पत्नी मनोज कुमार उम्र 23 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
22 पूनम पुत्री मदनलाल नवीरा बनवारी पत्नी मनोज कुमार उम्र 23 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद चुड़ीना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
23 नारायणी पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।
24 किबाओ पत्नी रामनारायण पत्नी चिरंजीलाल जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
25 हरकेश पुत्र होशियार उम्र 45 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
26 संदीप पुत्र होशियार उम्र 35 साल जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
27 तारामणी पुत्री रामप्रसाद उम्र 60 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
28 रघुवीर सिंह पुत्र रामप्रसाद उम्र 72 साल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
29 अनुप पुत्र बाबुलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
30 कोशिल्या पत्नी बाबुलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

31 दयानन्द पुत्र केशुराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

32 रमेश पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

33 पप्पु पुत्र नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

34 उषा पुत्री नन्दलाल जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

35 प्रमीलाल पुत्री बाबुलाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

36 प्रियंका पुत्री राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

37 भगवानी पत्नी केशराम जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपनी मृत्यु

37/1 सुन्दरपाल पुत्र स्व. दयानन्द पौत्र भगवानी जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

37/2 कृष्ण कुमार पुत्र स्व. दयानन्द पौत्र भगवानी जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

38 मधु पुत्री राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

39 रामसिंह पुत्र खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

40 विजय सिंह पुत्र सहीराम जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

41 शकुन्तला पुत्री खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

42 शारदा पत्नी राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

43 सत्यवीर पुत्र खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

44 सतीश पुत्र राजपाल जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

45 संतोष पुत्री खेता जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
46 सुमेर सिंह पुत्र सुभाषचन्द्र जाति अहीर निवासी मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
47 सुमेर सिंह पुत्र सुभाषचन्द्र जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
48 हवासिंह पुत्र सहीराम जाति अहीर निवासी कलाखरी हाल आबाद मानपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
49 उमराव सिंह पुत्र नन्दा जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
50 चरण सिंह पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
51 पतासी पुत्री नन्दा पत्नी सज्जन जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
52 भतेरी पुत्री नन्दा पत्नी महताब सिंह जाति मेघवाल निवासी पालोता हाल आबाद कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
53 राजेश पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
54 रोहताश पुत्र नन्दा जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
55 विमला पुत्री नन्दा पत्नी रामानन्द जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद बापडौली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
56 सुरेन्द्र पुत्र रणजीत जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
57 हंसकौर पुत्री रणजीत पत्नी विजय सिंह जाति मेघवाल निवासी पालोता तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. हाल आबाद गोद बलाहा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
58 जयवीर पुत्र रामकुमार उम्र 41 साल जाति मेघवाल निवासी गुगन की ढाणी तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।
59 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.09.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्झुनूं बमुकदमा नम्बर 124/2021 उनवानी श्योराम वगै.
बनाम रघुवीर वगै. अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री नफीस अहमद खान, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 3459/2037 , 3454/2035, 2039, 2040, 2142, 2033, 2038, 3457/2035, 3459/2037, वाके ग्राम बुहाना व खसरा नम्बर 47, 48, 39, 46, 32, 33, 34, 35 वाके ग्राम ठोठवाल का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही रूप से विवेचन नहीं किया है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा जब यह तथ्य पत्रावली पर प्रकट हो चुका था कि मु.नं. 73/2017 में उसके आवेदक 2 लगायत 5 श्योराम श्रीराम, रतिराम, जयवीर ने अपना आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर लिया था

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अधिकारी

तो शेष आवेदकगण मु.नं. 73/2017 के लिये ही उक्त आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 2039, 2040 के उत्तरी सीमा से उक्त मुकदमा के विपक्षी नम्बर 28 रघुवीर ने रास्ता देना स्वीकार किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने आवेदकगण द्वारा उक्त मुकदमें में संयुक्त रूप से मांग की गई थी और उक्त मुकदमे खसरा नम्बर 2039 व 2040 में से उतरी सीमा की ओर से रास्ता दे दिया गया है जो कि खसरा नम्बर 2040 तक मौजुद है इस कारण वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से अनावेदकगण को अब अन्य रास्ता नहीं दिया जा सकता है के आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज करने में भारी भुल की है क्योंकि आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 3457/2035 व खसरा नम्बर 3459/2037 तक पूर्व मुकदमा नम्बर 73/2017 में कोई रास्ता जाने के लिए कायम नहीं किया गया है तथा ना ही मौके पर उक्त रास्ता कायम है केवल विपक्षी के खसरा नम्बर 2040 तक रास्ता कायम किया जो 3460/2041 तक ही रामस्वरूप के खेत तक कायम किया उक्त रास्ता आवेदकगण के खेत के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है मौजुदा आवेदन पत्र अ.धारा 251 ए में आवेदकगण ने भूमि खसरा नम्बर 35, 46, 47 स्थित ग्राम ठोठवाल के उत्तरी हिस्से से सीधा रास्ते की मांग की थी उस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया उक्त खसरा नम्बर 35, 46, 47 से कोई वैकल्पिक रास्ता कभी भी नहीं दिया गया था इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक रूप से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सही रूप से गौर नहीं करने में भी भारी कानूनी भूल की है क्योंकि पूर्व मुकदमा नम्बर 73/2017 के रास्ते से आवेदकगण को मूल रास्ते कलाखरी से जयसिंहपुरा मे जाने के लिए $1^{1/2}$ किलोमीटर अतिरिक्त जाना पड़ेगा जबकि खसरा नम्बर 35, 46, 47 के उत्तरी सीरा से केवल 286 मीटर ही कटानी रास्ता कलाखरी से जयसिंहपुरा जाने वाला मिलता है इस प्रकार मौके के भौतिक स्थिति के आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 59 विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अधिकारी

न्यायालय में आवेदक था इसलिए उसको प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 16.09.2022 विचारण न्यायालय निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का आवेदन पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करें। वरवक्त बहस वकील अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय मे पूर्व में आवेदन पत्र मु.नं. 73/2017 बउनवानी रामस्वरूप आदि बनाम रघुवीर आदि पेश किया गया था जिसमें उन्होंने खसरा नम्बर 2041/1, 2035/3, 2034, 2036, 2037/2, 2041/2, 2037/3, 2035/1, 2037/1 का अपने आपको रिकार्डेड खातेदार होते हुए इस भूमि पर सभी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होना कथन किया एवं खसरा नम्बर 2039 व 2040 में से रास्ता की मांग की गई जिसमें खसरा नम्बर 2039, 2040 के खातेदार रघुवीर ने रास्ता देना स्वीकार किया तथा आवेदकगण ने संयुक्त रूप से एक ही रास्ते की मांग की गई थी। इस प्रकार आवेदक संख्या 1 व 2 मु.नं. 73/2017 में आवेदक संख्या 2 व 5 के रूप में पक्षकार थे एवं उन्होंने अपनी भूमि के लिए एकमात्र प्रचलित रास्ता खसरा नम्बर 2039 व 2040 में से कथन करते हुए वही से रास्ते की मांग की गई थी तथा वर्तमान में आवेदन पत्र जिस भूमि के लिए रास्ते की मांग की गई है उसी भूमि के लिए मु.नं. 73/2017 में मांग की गई थी एवं इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो दिनांक 27.08.2021 को पेश हुई है उसमें खसरा नम्बर 2039 व 2040 की उत्तरी सीमा से आवेदकगण द्वारा चाही गई भूमि तक रास्ता दिया गया है इस प्रकार आवेदकगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तथा तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2022 में दो अलग–अलग रास्ते प्रस्तावित किये है जो ग्राम ठोठवाल भूमि खसरा नम्बर 48 की दक्षिणी सीमा से एवं ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 2039 व 2038 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

दक्षिणी सीमा के प्रस्तावित किये है जबकि इस भूमि के लिए खसरा नम्बर 2039 की उत्तरी सीमा से एवं खसरा नम्बर 2038 के उत्तर में स्थित खसरा नम्बर 2040 की उत्तरी सीमा से पहले से रास्ता मौजूद है। इस प्रकार एक ही भूमि में से बार–बार रास्ते नहीं दिये जा सकते है एवं धारा 251 ए राज. काश्त. अधि. का उद्देश्य भी स्पष्ट है कि खातेदार को उसकी काश्त हेतु रास्ते की सुविधा उपलब्ध ना होने अर्थात रास्ता की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर उसे रास्ता दिया जा सकता है जब उसके पास रास्ते की वैकल्पिक सुविधा पहले से मौजूद है तो उन्हें पुनः रास्ता उसी भूमि में से नहीं दिया जा सकता है इस प्रकार आवेदकगण के पास पहले से अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की वैकल्पिक सुविधा है जब रास्ते की उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था है तो वे नये–नये रास्ते की मांग नही कर सकते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील में प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण से संबंधित नहीं है। अतः आवेदन भी खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सही रूप से विवेचन नहीं किया है क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा जब यह तथ्य पत्रावली पर प्रकट हो चुका था कि मु.नं. 73/2017 में उसके आवेदक 2 लगायत 5 श्योराम श्रीराम, रतिराम, जयवीर ने अपना आवेदन पत्र प्रत्याहरित कर लिया था तो शेष आवेदकगण मु.नं. 73/2017 के लिये ही उक्त आवेदन पत्र में खसरा नम्बर 2039, 2040 के उत्तरी सीमा से उक्त मुकदमा के विपक्षी नम्बर 28 रघुवीर ने रास्ता देना स्वीकार किया है परन्तु विचारण न्यायालय में आवेदकगण द्वारा उक्त मुकदमें में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन ... अधिकारी

संयुक्त रूप से मांग की गई थी और उक्त मुकदमे खसरा नम्बर 2039 व 2040 में से उतरी सीमा की ओर से रास्ता दे दिया गया है जो कि खसरा नम्बर 2040 तक मौजुद है इस कारण वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से अनावेदकगण को अब अन्य रास्ता नहीं दिया जा सकता है के आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है क्योंकि आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 3457/2035 व खसरा नम्बर 3459/2037 तक पूर्व मुकदमा नम्बर 73/2017 में कोई रास्ता जाने के लिए कायम नहीं किया गया है तथा ना ही मौके पर उक्त रास्ता कायम है केवल विपक्षी के खसरा नम्बर 2040 तक रास्ता कायम किया जो 3460/2041 तक ही रामस्वरूप के खेत तक कायम किया उक्त रास्ता आवेदकगण के खेत के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है मौजुदा आवेदन पत्र अ.धारा 251 ए में आवेदकगण ने भूमि खसरा नम्बर 35, 46, 47 स्थित ग्राम ठोठवाल के उत्तरी हिस्से से सीधा रास्ते की मांग की थी उस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नहीं किया उक्त खसरा नम्बर 35, 46, 47 से कोई वैकल्पिक रास्ता कभी भी नहीं दिया गया था इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक रूप से निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सही रूप से अवलोकन नहीं कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है क्योंकि पूर्व मुकदमा नम्बर 73/2017 के रास्ते से आवेदकगण को मूल रास्ते कलाखरी से जयसिंहपुरा मे जाने के लिए $1^{1/2}$ किलोमीटर अतिरिक्त जाना पड़ेगा जबकि खसरा नम्बर 35, 46, 47 के उत्तरी सीरा से केवल 286 मीटर ही कटानी रास्ता कलाखरी से जयसिंहपुरा जाने वाला मिलता है इस प्रकार मौके के भौतिक स्थिति के आधार पर विचारण न्यायालय का निर्णय नहीं होने से निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में लघुत्तम दूरी के रास्ते की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.05.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर